10 राजन्य एवं क्षत्रियों के बढ़ते हुए महत्व के
ब्राह्मणों के महत्व को भी बढ़ा दिया क्योंकि
वे अनुष्ठानों द्वारा राजा को वैधता प्रदान
करते थे। ऐसे अवसर पर दान दक्षिणा द्वारा
धन सम्पत्ति का बड़ा भाग मुख्य रूप से क्षत्रिय
यजमान द्वारा ब्राह्मण एवं पुरोहितों को देना था
बड़े स्तर पर पवित्र अनुष्ठान करना यह दिखाता
है कि राजा अपने को पद पर बड़े सुरक्षित
नहीं पाता था और शासन करने की
अपनी योग्यता ऐसे अनुष्ठानों द्वारा दिखा
जाता था बाद के काल में पुरोहितों का
दर्जा देवताओं के समतुल्य हो गया
यह समझा जाता था की देवताओं को
प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की आवश्यकता
है इसी प्रकार स्वयं पुरोहित अथवा ब्राह्मण
दान से प्रसन्न होता था है। इस प्रकार
धन सम्पत्ति का बटवारा मुख्यतया शासक
और पुरोहितों के उच्च वर्गों में था और
राजनैतिक शक्ति क्षत्रियों के अधिकार में
आ रही थी

(11) राजा को नवजात ब्राह्मण वर्गों से पूरा औपचारिक
सहयोग मिलता था अथर्ववेद के एक
परिच्छेद में कहा गया है कि राजा ब्राह्मणों का
रक्षक तथा जनता का भक्षक था ब्राह्मण और
क्षत्री मिलकर धर्म का गौरव बढ़ाते हैं इस प्रकार
पुजारियों और योद्धाओं में वर्गीय समझौता हुआ
विश्व के अन्य स्थानों की तरह अब भारत
में भी पुरोहितों ने शासकों पर
अपना जाल फेंकना और सौदेबाजी करना
प्रारम्भ किया

* सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि राजा
जनता का भक्षक (बिश्वा मत्ता) है क्योंकि
वह जनता से कर वसूल कर अपनी
अस्तित्व का रक्षा करता है।

12 कराधान व्यवस्था के राजा को आय सुनिश्चित हो जाने से वह अनेक अधिकारियों को नियुक्त कर सकता था हम देखते है कि राजा अपने राजाभिषेक के समय देवताओं को तृप्त करने के उद्देश्य से बारह रत्निनों (रत्नबिक्रताओं) से उनके निवास स्थानो पर मिलने गया था सम्भवतः वे उच्च पदाधिकारी थे और धातुकर्म, रथनिर्माण, रथसंचालन इत्यादि कार्यों की देख-रेख करते थे

राजा अधिकारियों की सूची मे शाही खजाने का प्रभारी संग्रहीतृ और मुख्य पुजारी अर्थात पुरोहित का उल्लेख है। इन पदाधिकारियों पर राजा का प्रत्यक्ष नियंत्रण था और जनता से करों के रूप मे वसूले गये धन से उनके भरण पोषण की व्यवस्था की जाती थी सम्भवतः दरबारियों की संख्या के वृद्धि के कारण राजा का खूब सम्मान होने लगा था

* बारह रत्निन -> पुरोहित, सेनानी, राजन्य महीषी (पटरानी), सूत (वह राजा का सारथी) ग्रामीण, क्षत्रि (प्रतिहार) संग्रहीतृ (कोशाध्यक्ष) भागदुध (कर एकत्रित करने वाला एक अधिकारी) आक्षवाप (द्युत अधिकारी) गोविकर्त (वन का अधिकारी तक्षा) तथा पालागल

13. निचले स्तर के प्रशासन का भार सम्भवतः ग्राम सभाओं पर रहता था जिनपर प्रमुख कुलों के प्रधानो का नियंत्रण रहता था ये सभाएं स्थानिय वाद विवाद का फैसला करती थी

14. उत्तर वैदिक काल मे राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था युद्ध के समय कबिले के जवानो का दल भर्ती किये जाते थे

क्रमकाण्ड के एक अनुष्ठानों के अनुसार युद्ध मे विजयी पाने की कामना

राजा को एक ही थाली में अपने भाई बन्धुओं (विश) के साथ खाना पड़ता था

* (i) राजत्व की दैवी उत्पत्ती के सिद्धान्त की चर्चा भी उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में मिलती है हालांकि मुख्यतः राजतंत्रीय राजव्यवस्था का प्रचलन था किन्तु कहीं गणतंत्र का भी उदाहरण मिलता है।

(ii) आर्य लोग दक्षिण के विदर्भ तक गये थे जो कि आधुनिक महाराष्ट्र में पड़ता है।

Scanned with CamScanner